न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1040/2026
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1327/2026
परिवाद वाद संख्या– 836/2025

मो0 हाशिम एवं 01.....आवेदकगण
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थितिः–
वास्ते आवेदकगणः–श्री मो0 सफीक आलम, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजनः–श्री राजानंद पासवान, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

आदेश

23-07-2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण 1.मो0 हाशिम, पिता–स्व0 एस0के0 सेराजुद्दीन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1040/2026 एवं 2.बीबी सवूदा अंजुम, पति–मो0 हाशिम की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1327/2026 अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो परिवाद वाद संख्या– 836/2025, अंतर्गत धारा– 85 भा0न्या0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित है, को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद परिवादिनी बीबी दिलरूबा के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि उसकी शादी मो0 सादाब हासिम के साथ दिनांक 27.04.2020 को हुई। शादी में दहेज स्वरूप घरेलू सामान, मोटरसाईकिल व सोने–चॉदी का जेवरात सभी कुल सात लाख रूपया का दिया गया। अभियुक्तगण दहेज से खुश नहीं हुए और दहेज में एक चार चक्का गाड़ी का मांग करने के लिए परिवादिनी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। अभियुक्तगण बुरी तरह से मारपीट करने लगे तथा मारपीट कर बच्चा सहित घर से भगा दिया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदकगण के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय

लगातार.....

23.07.2026 पटना में दाखिल किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को पारिवारिक विवाद एवं ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण का कथित घटना से कोई सरोकार नहीं है। आवेदकगण कभी भी परिवादिनी को दहेज के लिए किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदकगण/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 85 भा0न्या0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदकगण परिवादिनी के क्रमशः ससुर एवं सास है। परिवादिनी के द्वारा परिवाद पत्र में आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया है। वाद का मुख्य आरोप परिवादिनी के पति पर है, जो कि इस मामले में आवेदक नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदक को आदेश प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।